भारत सरकार की दिनांक 13.08.2004 की अधिसूचना के अनुसार, पूर्ववर्ती ग्लोबल ट्रस्ट बैंक (ई-जीटीबी) का ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (अब पीएनबी) के साथ विलय कर दिया गया था। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ ई-जीटीबी के विलय की योजना के अनुसार, ई-जीटीबी की देनदारियों के लिए विनियोजन के बाद अधिशेष राशि, यदि कोई हो, निर्धारित तिथि (14.08.2004) से 12 वर्ष की समाप्ति के बाद या केंद्र सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट की जाने वाली पूर्व अवधि के बाद ई-जीटीबी के साधारण शेयरधारकों के बीच आनुपातिक रूप से वितरित की जानी थी। 'योजना' के अनुसार, ई-जीटीबी के शेयरधारकों को उनके द्वारा रखे गए ई-जीटीबी शेयरों के बदले में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का कोई नया शेयर नहीं मिला, क्योंकि विलय की योजना में कोई स्वैप अनुपात तय नहीं किया गया था। अंतिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, विलय की तिथि अर्थात 13.08.2016 से 12 वर्ष पूरे होने पर ई-जीटीबी के परिसंपत्ति खाते में शुद्ध घाटा 558.03 करोड़ रुपये था और इसलिए ई-जीटीबी के शेयरधारकों के प्रति बैंक की ओर से कोई और देयता नहीं बनती है।